(105)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः—श्री एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1205—एक/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—06—2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 60/2006—07/अपील

.....

1— मदनमोहन
2— अवधकिशोर
3— जुगलकिशोर
4— रविकांत, पुत्रगण स्व0 बैजनाथ शर्मा
5— श्रीमती कांतीदेवी पत्नी स्व0 रमाकान्त शर्मा
6— श्रीमती विट्टीबाई पत्नी स्व0 बैजनाथ शर्मा
निवासीगण — ग्राम अम्हलेड़ा वृत्त पीपरी
तहसील व जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदकगण

**विरूद्ध**

श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व0 श्री बैजनाथ शर्मा
पत्नी श्री दशरथप्रसाद
निवासी— ग्राम बरकापुरा
तहसील अटेर जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय है

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—06—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में यह है कि ग्राम हर्राजपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 233, 249, 250 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टर बैजनाथ के स्वत्व एवं स्वामित्व पर दर्ज थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामांतरण पंजी पर ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव क्रमांक 1 दिनांक

28.12.04 से आवेदकगण का समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 58/2005–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.12.2006 से अस्वीकार की गई इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में पेश कि गई है। जहां विधिवत प्रकरण क्रमांक 60/2006–07/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 11.06.2010 द्वारा अनावेदिका के हित में आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नामांतरण के पूर्व ग्राम पंचायत ने इश्तहार निकाला थो, कोई आपत्ति न आने पर नामांतरण किया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह टाइमवार्ठ अपील थी। अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त को बिना जांच किये की अनावेदिका मृतक बैजनाथ की वारिस है अथवा नही उसके हक में नामांतरण किये जाने का जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अपील को तहसील पिपरी में वापिस भेजना चाहिये था तथा अनावेदिका मृतक बैजनाथ की वारिस है अथवा नहीं इस बिन्दू कि जांच किये जाने के बाद ही उसके हक में नामांतरण किये जाने का आदेश पारित करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये बगैर ही अनावेदिका के हित में नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने काल्पनिक आधार पर यह मानकर कि अनावेदिका मृतक बैजनाथ की पुत्री है, आदेश पातिर किया है, क्योंकि इस संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का कर्त्तव्य था कि सर्वप्रथम साक्ष्य से सिद्ध कराये जाने बावत आदेश पारित करते और यदि साक्ष्य से सिद्ध हो जाती कि अनावेदिका मृतक बैजनाथ की पुत्री है, तब उसके हक में नामांतरण किये जाने बावत तहसील न्यायालय को निर्देश देना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य व दस्ताव्रेज के अनावेदिका को मृतक बैजनाथ

की पुत्री मानकर जो आदेश पारित किया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयवाह्य अपील प्रस्तुत होने का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत होने में लगे विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया है इसलिये यह बिन्दू द्वितीय अपील में विचार योग्य नहीं है । प्रकरण में मात्र यही देखना है कि क्या अनावेदिका बैजनाथ की पुत्री है और उसे मृतक बैजनाथ की भूमि में नामांतरण कराने की पात्रता है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से पाया गया कि अनावेदिका मृतक बैजनाथ की पुत्री है, इसी कारण उसे मृतक बैजनाथ की भूमि में नामांतरण कराने की पात्रता है । अब प्रश्न यह है कि अनावेदिका मृतक बैजानाथ की प्रथम पत्नी की पुत्री होने से हिस्सा 1/2 पायेगा? हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 इस प्रकार है :– " 10 अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण– निर्वसीयत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग –1 में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जायेगी– नियम 1– निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवायें हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा । नियम 2–निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक–एक अंश मिलेगा।"

6/ उपयुर्क्त से स्पष्ट है कि मृतक बैजनाथ की दो पत्नीयों में से प्रथम पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है। द्वितीय जीवित पत्नी एवं सभी पांचों पुत्र एवं पुत्री उक्त नियम 2 के अनुसार एक–एक अंश समान भाग पर नामांतरण कराने की पात्र है, किन्तु ग्राम पंचायत ने मृतक बैजनाथ की वादग्रस्त भूमि पर उक्त नियमों की अनदेखी करके पुत्री को छोड़कर मृतक की पत्नी एवं पांचों पुत्रों का नामांतरण करने की त्रुटि करने से ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया नामांतरण आदेश दिनांक 28.12.04 एवं अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल

संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है। मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ ।

8/ अतः ऊपर दिये गये वर्णित तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2010 विधिसंगत है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर